

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 12/2022
3. उनवान : ग्राम पंचायत काचरोदा पंचायत समिति दूदू तहसील फुलेरा जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

–निगरानीकार

बनाम

अनिल कुमार पुत्र छगन लाल वर्मा निवासी टीबा की ढाणी, ग्राम काचरोदा तहसील फुलेरा जिला


–विपक्षी/गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 24/01/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी संख्या 1 ने पट्टा चाहने बाबत आवेदन वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध निगरानीकार को मुगालते में रखते हुये निजी खातेदारी भूमि में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि में बताकर दिनांक 06.03.2019 को पट्टा संख्या 12 क्षेत्रफल 177.77 वर्गगज जारी करवा लिया। कौरम बैठक में पटवार हल्का ने भी पत्रावलीयों का अवलोकन किया व बने हुये मकानात आवेदनकर्ताओं के आबादी भूमि में होना बताया। निजी खातेदारी की भूमि जो गै०मु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा निजी खातेदारी भूमि में होना पाया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत/निगरानीकार ने कौरम के व विपक्षी संख्या 1 के विश्वास पर चूँकि मौके पर काफी आबादी बसी हुई हैं और उक्त जारी पट्टा को आबादी में मानते हुये चूँकि यह निजी खातेदारी की भूमि की सीमा से लगती हुई होने के कारण यह ध्यान नहीं रहा और उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी कर दिया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टा सहवन से और आवेदनकर्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन व शपथपत्र पर विश्वास कर कौरम द्वारा भी इन तथ्यों पर विश्वास कर मौके आदि का अवलोकन कर चूँकि आबादी और निजी खातेदारी भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर अपनी रिपोर्ट वगैरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा निजी खातेदारी भूमि में जारी हो गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक पसदू/जांच/1021/1526 दिनांक 29/7/2012 के द्वारा उक्त विधि विरुद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीयां प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अन्त में निवेदन किया है कि संकल्प संख्या 03 दिनांक 05/03/2019 की अनुपालना में पट्टा संख्या 12 दिनांक 06.03.2019 को जारी किया गया को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।


अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 12 दिनांक 06.03.2019 मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये। गैर निगरानीकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं। गैरनिगरानीकार के विरुद्ध दिनांक 13.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।


विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध निजी खातेदारी भूमि में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि में बताकर दिनांक 06.03.2019 को पट्टा संख्या 12 क्षेत्रफल 177.77 वर्गगज का पट्टा ग्राम पंचायत काचरोदा से जारी करवा लिया। निजी खातेदारी की भूमि जो गै०मु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा निजी खातेदारी भूमि में होना पाया। आबादी और निजी खातेदारी भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर रिपोर्ट वगैरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा निजी खातेदारी भूमि में जारी हो गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू के द्वारा दिनांक 29/7/2021 को विधि विरुद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीयां प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अतः संकल्प संख्या 03 दिनांक 05/03/2019 की अनुपालना में पट्टा संख्या 12 दिनांक 06.03.2019 को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

गैरनिगरानीकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश होने के कारण जवाब पेश नहीं किया। बहस की अनुमति चाही। बहस सुनी गई। गैर निगरानीकार अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना कर आवासीय पट्टा जारी किया गया है जो कि पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड से जाहिर होता है। अन्त में पंचायत द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाने का का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू की रिपोर्ट दिनांक 29/07/2021 के अनुसार निगरानीधीन पट्टा सीमाज्ञान अनुसार कृषि भूमि में जारी होना पाया गया। तहसीलदार फुलेरा मु० सांभरलेक की रिपोर्ट 4398 दिनांक 17.06.2021 में निगरानीधीन पट्टा संख्या 12 निजी खातेदारी भूमि में जारी होना पाया गया। अतः ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा संख्या 12 दिनांक 06.03.2019 का निजी खातेदारी (कृषि) भूमि में आवासीय पट्टा जारी होने के कारण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी रवीकार की जाकर संकल्प संख्या 03 दिनांक 05/03/2019 की अनुपालना में ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 06.03.2019 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।



(कुन्तल विश्वाजी)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जायपुर